**सेवा में**

**श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय**

**जनपद - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश**

**विषय - सोशल मीडिया में खुलेआम माता सीता और भगवान शिव जी को अपशब्द बोलकर अपमानित करने एवं समस्त हिन्दुओं को मां की गन्दी गाली लिखकर वीडियो डालकर मानहानि एवं सांप्रदायिक दंगा करवाने की कोशिश करने पर कठोर कार्यवाही हेतु ।**

**महोदय जी**

**सुन्दर जाटव पुत्र रामलाल निवासी बेला , प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सुन्दर जाटव सोशल मीडिया (फेसबुक, इन्स्टाग्राम ) में जानबूझ कर भगवान शिव जी को अपशब्द लिखकर वीडियो पोस्ट करता है, और उसी वीडियो में समस्त हिन्दू बहनों का भी मजाक उड़ाता है। जिससे हिन्दूओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहूंची है । इसी प्रकार सुन्दर अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करता है, जिसके कैप्शन में माता सीता जी के लिए गन्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए सरेआम मजाक बनाता है,और अपमानित करता है। और सुन्दर जाटव ये सब सिर्फ फेमश होने और हिन्दूओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहूंचाने के लिए करता है। सुन्दर के इन्स्टाग्राम अकाउंट में हिन्दू देवी - देवताओं का मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे वीडियो डालता है, और जब उसको समझाया गया उसने फिर से अपने फेसबुक स्टेटस में एक फोटो या स्क्रीनशॉट डाला जिसमे समस्त हिन्दुओं की मां की गन्दी गाली लिखकर अपमानित करता है।**

**धारा 295ए भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा है जिसमे जानबूझकर और दुर्भावना पूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है,जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।**

**अतः श्रीमान जी से निवेदन है, कि मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर अपराधी पर कठोर - से कठोर कार्यवाही की जाये तो महान कृपा होगी । अपराधी की जानका री**

**\* नाम - सुन्दर जाटव**

**पिता का नाम - रामलाल**

**पता - बेला ,प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश –**

**मोबाइल नम्बर-7080502004 धन्यवाद**